

फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक – 06.02.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-23/26 धारा- 64/69/115(2) बीएनएस में
नामजद /वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/26 धारा 64/69/115(2) बीएनएस में नामजद /वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम नगला गोदाम बरझाला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रवि कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम नगला गोदाम बरझाला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादिनी द्वारा थाना केशव पुरम् उत्तर पश्चिम दिल्ली में जीरो एफआईआर 02/2025 धारा 64/ 69/115(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था, जिसके क्रम में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 23/26 धारा 64/69/115(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नामजद/वांछित अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म की मांफी मांगते हुए शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 23/26 धारा 64/69/115(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मुनीर खान
2. का0 अनुज
3. का0 जयकिशोर

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 06.02.2026

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 18/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरिश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 18/2026 धारा 87 बीएनएस में नामजद/वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र चन्दा नि0 रुदायन थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सलमान पुत्र चन्दा नि0 रुदायन थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 01.02.2026 को वादिनी द्वारा लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सलमान उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी थी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 18/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम सलमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा सलमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुए शेष सफाई जरिए अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 18/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष नितिन चौधरी
2. उ0नि0 हरीश कुमार
3. का0 सुमित कुमार
4. का0 सोनू कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना



#Fatehgarhpolic





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद





मिशन शक्ति 5.0



थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फर्रुखाबाद





मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना शमसाबाद



मिशन शक्ति 5.0



थाना नवाबगंज

